भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3148

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

पंद्रह सूत्री कार्यक्रम

3148. श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सरकार का पंद्रह सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2015 से देश में कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु पंद्रह सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान किसी नई विशेष योजना की घोषणा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु पंद्रह सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ख): अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2006 में आरंभ होने के बाद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों के लोग विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर पा सके और देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। कार्यक्रम के निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य हैं: (i) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ii) मौजूदा और नई योजनाओं, स्व-रोज़गार के लिए बढ़ी हुई क्रेडिट सहायता और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना; (iii) अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके

उनके जीवन की स्थितियों में सुधार करना; और (iv) सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं। हालाँकि, अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/पहलों के परिव्यय और लक्ष्यों का, जहां तक संभव हो, 15% अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अन्य भागीदार मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएँ इस प्रकार हैं:

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना
iv. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)
v. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)
vi. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजनाएं
vii. समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)
viii. दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम)- (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
ix. दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
x. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
xi. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)
xii. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण (वित्तीय सेवा विभाग)
xiii. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवा विभाग)
xiv. पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
xv. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
xvi. आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
xvii. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल एवं स्वच्छता विभाग)

(ग): नोडल मंत्रालय के रूप में अपनी भूमिका में, यह संतृप्ति स्तरों की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत अन्य मंत्रालयों/विभागों की प्रासंगिक योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करता है।

सरकार के संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत कई घटकों ने मुख्यधारा हासिल कर ली है। अत: अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न प्रासंगिक योजनाओं में पूर्ण लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

*****